

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

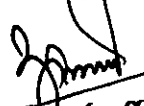
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2709 /2022

दिनांक : 10.09.2022

श्रीमती रामकल्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती सोनी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II के पद पर ही होने की संभावना है ।

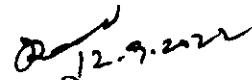
अज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 10.09.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/53/2013/6211

दिनांक : 10.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 4547 दिनांक 20.08.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रामकल्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार